कार्यालय नगर पालिका परिषद, चित्रकूटधाम कर्वी, जनपद–चित्रकूट

पत्र संख्या– 94 /2018–19 /दिनांक–21-04–2018

अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी में बढ़े हुए अतिरिक्त कार्य यथा पथ प्रकाश, वाहन चालक व अन्य कार्य हेतु सेवा प्रदाता के माध्यम से श्रमिकों की आवश्यकता है। उक्त कार्य में श्रमिकों की आपूर्ति हेतु श्रम विभाग में पंजीकृत सेवा प्रदाताओं/एजेन्सी से वर्ष 2018–19 हेतु दिनांक 28.04.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रतिशत दर में निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिनांक को अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदाओं की बिक्री दिनांक 27.04.2018 को कार्यालय दिवस में पालिका कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय के स्थानीय निकाय कक्ष में की जायेगी। निविदाओं के साथ सेवा प्रदाताओं को 10 प्रतिशत की जमानत धनराशि की एन0एस0सी0/सी0डी0आर0/ एफ0डी0आर0/नकद आदि के रूप में लगानी अनिवार्य होगी जो अधिशाषी अधिकारी के पद नाम से बंधक होगी। निविदादाता को निविदा के साथ 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर कर संलग्न करना अनिवार्य होगा। सशर्त एवं अपूर्ण निविदायें मान्य नहीं होगी तथा स्वतः निरस्त समझी जाएगी। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

पथ प्रकाश व अन्य कार्य/श्रमिकों का विवरण

क0 सं0	श्रमिकों का विवरण	संख्या	दर	कुल योग 01 माह	टेण्डर फार्म की कीमत 18 % G.S.T सहित
1	सफाई वाहन चालक	8	270	66960.00	1000+180=1180.00
2	जे0सी0बी0 चालक	1	270	8370.00	
3	हाईड्रोलिक सीढ़ी चालक	1	270	8370.00	
4	लाइन मैन (अर्द्धकुशल)	8	280	69440.00	
5	सीढ़ीमैन (अकुशल)	8	210	52080.00	
6	कम्प्यूटर आपरेटर	2	380	23560.00	
7	लिपिकीय व अन्य कार्य	12	250	93000.00	
	योग–	40		321780.00	
सेवा प्रदाता का लाभ @10%				32178.00	
कुल योग–				353958.00	

शर्ते :–

1. पालिका द्वारा श्रमिकों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ायी एवं घटायी जा सकती है।
2. मजदूरी की स्वीकृत दरें आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 तक मान्य होगी। दरों में किसी प्रकार की कटौती या बढ़ोत्तरी शासन द्वारा की जाती है तो शासनादेशानुसार पालिका द्वारा बदलाव किया जायेगा।
3. सेवा प्रदाता/एजेन्सी को श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर का रखरखाव व श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खाते में करना होगा।
4. सेवा प्रदाता/एजेन्सी का पंजीकरण श्रम विभाग में होना अनिवार्य है।
5. कार्य किसी भी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा, निविदा स्वीकृति के बाद हस्तान्तरित की स्थिति पायी जाती है, तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
6. निविदा की सम्पूर्ण जानकारी कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
7. अपूर्ण अथवा सही ढंग से न भरी गई निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी श्रमिक को कार्य में लापरवाही या कार्य के अनुरूप न पाये जाने पर श्रमिक को हटाने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।
10. नियमानुसार निर्धारित जी0एस0टी0 का भुगतान पालिका द्वारा किया जायेगा।
11. यदि निविदा डालने की दिनांक का किसी कारणवश कोई अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा कार्यवाही अगले दिन सम्पादित की जायेगी।
12. कार्य के दौरान श्रमिकों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर समस्त उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता/एजेन्सी का होगा।
13. आउटसोर्सिंग एजेन्सी को पालिका द्वारा निर्धारित दरों की धनराशि कर्मियों को भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।
14. सेवा प्रदाता द्वारा आपूर्ति किये गये सभी श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में कराना अनिवार्य होगा।
15. सेवा प्रदाता द्वारा आपूर्ति किये गये श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान पालिका द्वारा उनकी उपस्थिति के सत्यापन के उपरान्त ही किया जायेगा।
16. सेवा प्रदाता द्वारा यदि निर्धारित नियम व शर्तो का पालन नहीं किया जाता है तो उसका अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(नरेन्द्र मोहन मिश्र)
अधिशाषी अधिकारी,

(नरेन्द्र गुप्ता)
अध्यक्ष,

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चित्रकूट को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. नोटिस बोर्ड, नगर पालिका परिषद, चित्रकूटधाम, कर्वी में चस्पा हेतु।
4. विज्ञापन व्यवस्थापक/संपादक दैनिक अमर उजाला कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि अपने अगले अंक मे न्यूनतम स्थान में एक बार प्रकाशन कराकर बिल दो प्रतियों में प्रेषित करे।
5. विज्ञापन व्यवस्थापक/संपादक चित्रकूट कामदगिरि गौरव महोबा को इस आशय से प्रेषित कि अपने अगले अंक मे न्यूनतम स्थान में एक बार प्रकाशन कराकर बिल दो प्रतियों में प्रेषित करे।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
चित्रकूटधाम कर्वी।